रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 1994/वैसाख 12, 1916
No. 190] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 1994/VAISAKHA 12, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1994

सं. 99/94—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 425(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रूप से आगे संशोधन करने का निदेश देती है।

सारणी

क्रमसं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	सं. 46/94–के.उ.शु. दिनांक 1 मार्च, 1994	अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में क्रम संख्या 31 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा।
2.	सं. 27/94–के.उ.शु. दिनांक 1 मार्च, 1994	अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा अर्थात् :–

1	2	3	4
"10क	59.09	उत्पादन के कारखाने में अथवा उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में टेक्सटायल फैब्रिकों की छपाई के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशायित प्रिंटिंग फेमों और उक्त अन्य कारखाने में प्रयोग किए जाने के लिए, के. उ.शु. नियमावली, 1944 के अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।	शून्य

[फा. सं. वी 10/10/94-टी.आर.यू.]
सुभाष सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 1994

No. 99/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 425 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table

hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Notification No. and Date</th><th>Amendment</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>No. 46/94-Central Excises, dated the 1st March, 1994</td><td>In the Table annexed to the said notification, S.No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>No. 27/94-Central Excises, dated the 1st March, 1994</td><td>In the Table annexed to the said notification, after S.No. 10 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>"10A.</td><td>59.09</td><td>Printing frames intended for use either within the factory of production or in any other factory of the same manufacturer, in printing of textile fabrics and in respect of use in the said other factory, the procedure set out in chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.</td><td>Nil"</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[F.No. B40/10/94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994